

(असाधारण भाग I-खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जीएस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(5)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020:भारत सरकार एतददवारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिश्वेति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की अधिसूचित राशि (करोड़ में)
5.09% सरकारी स्टॉक 2022	13 अप्रैल, 2020	02-00-00	13 अप्रैल, 2022	मूल्य	विविध 3,000
5.77% सरकारी स्टॉक 2030	03 अगस्त, 2020	10-00-00	03 अगस्त, 2030	मूल्य	विविध 13,000
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2033	22 जून, 2020	13-03-00	22 सितम्बर, 2033	मूल्य	विविध 3,000
6.80% सरकारी स्टॉक 2060	31 अगस्त, 2020	40-03-14	15 दिसम्बर, 2060	मूल्य	विविध 9,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिश्वेतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी स्टॉक, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से देचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिश्वेतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 9 अक्टूबर, 2020 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 9 अक्टूबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 09 अक्टूबर, 2020 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 12 अक्टूबर, 2020 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत व्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत व्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

व्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर व्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिश्वेति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की कीस तारीख	तारीख तक प्रोद्भूत व्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
5.09% सरकारी स्टॉक 2022	5.09	नया स्टॉक	11 अक्टूबर, 2020	13 अक्टू. और 13 अप्रैल
5.77% सरकारी स्टॉक 2030	5.77	नया स्टॉक	11 अक्टूबर, 2020	03 फरवरी और 03 अगस्त
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2033	परिवर्तनीय#	22 सितम्बर, 2020	11 अक्टूबर, 2020	22 मार्च और 22 सितम्बर
6.80% सरकारी स्टॉक 2060	6.80	नया स्टॉक	11 अक्टूबर, 2020	15 दिस. और 15 जून

# भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2033

(i) परिवर्तनीय दर पर व्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की कूपन दर जो मूल दर होगी तथा यह 182 दिवसीय राजकोषीय हंडियों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारित औसत आय (डब्ल्यू ए वाई) की औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा 122 आधार बिन्दुओं के नियत प्रसार के समतुल्य होगी। यह प्रसार बांड की पूरी अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांड की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकोषीय हंडियों की नीलामियों को बंद कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉल-रिपोर्टिंग शक्तिवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिश्वेति(यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाई टी एम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियों हो, तो परिपक्वता पर आय की दरें वही होंगी जो पिछले कार्य दिवस पर थी।

(iv) कूपन अवधि 22 सितम्बर, 2020 से 21 मार्च, 2021 के लिए आधार दर 3.48 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए अस्थायी दर वाले बांड 2033 पर व्याज दर 4.70 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय व्याज दर, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के गणपति के आदेश से

5/10/20  
(रजत कुमार मिश्र)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार